सड़क पर घेरकर गोली मारी

ग्वालियर , 04 फरवरी. बन्हेरी गांव में पूर्व सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड के एक गवाह पर मंगलवार रात जानलेवा हमला किया गया। गवाह अजब सिंह गांव के बाहर गुटखा खरीदने गया था। लौटते समय एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। हमले के दौरान अजब सिंह भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गोली उसके पेट और पीठ के बीच लगी.

गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल को ग्रामीणों की मदद से जेएएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। रात करीब 12:30 बजे तक पुलिस घायल से पूछताछ का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में रखा गया है। आरोन थाना क्षेत्र स्थित बन्हेरी गांव पिछले कुछ सालों से खूनी रंजिश के कारण चर्चा में रहा है। कुछ साल पहले गांव के सरपंच विक्रम रावत की पड़ाव थाना क्षेत्र में गोली

मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में करीब 12 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में तत्कालीन ईपीएफओ कमिश्नर मुकेश रावत का नाम भी शामिल था। मुकेश रावत भी बन्हेरी गांव के निवासी हैं और मृतक सरपंच व उनके परिवार के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी।

प्रदेश प्रभारी डॉ . सिंह ने दिया केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जोर

भोपाल/सागर, 04 फरवरी. भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने सागर में केंद्रीय बजट-2026 पर आयोजित व्यापारी व प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समग्र भारत के चतुर्दिक विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है.

उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 देश की जनता के प्रति सरकार के कर्तव्यों को पूरा करने वाला दस्तावेज है। केंद्र सरकार 240 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 145 करोड़ जनता के हितों पर कार्य कर रही है। डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहला ऐसा बजट है जिसमें 'कर्तव्य भवन' में बैठकर तीन कर्तव्यों वाला बजट तैयार किया गया। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने, पुराने वैभव को पुन: स्थापित करने और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व के विकसित देशों के साथ सीधा मुकाबला कर रहा है और देश की जनसंख्या एवं आर्थिक क्षमता को देखते हुए यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री व विधायक गोपाल भार्गव, विधायक शैलेन्द्र जैन तथा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे मंचासीन रहे।

2 करोड़ की एमडी ड्रग निकली यूरिया

- तेजाजी नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई फॉरेंसिक जांच में फेल
- सहयोगी पुलिसकर्मी समेत सभी आरोपियों को किया बरी

नव भारत न्यूज

इंदौर. तेजाजी नगर पुलिस द्वारा एक साल पहले जिस पाउडर को 2 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग बताकर बड़ी कार्रवाई के रूप में पेश किया था, वही पदार्थ जांच में उर्वरक में इस्तेमाल होने वाला पोटेशियम नाइट्रेट (यूरिया) निकला.

भोपाल और हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के बाद पुलिस को खुद कोर्ट में यह मानना पड़ा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला गलत था. जिला कोर्ट

के विशेष न्यायाधीश ने खारिजी स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को मामले से बरी कर दिया और जब्त सामान लौटाने के आदेश दिए. पूरा मामला 26 फरवरी 2025 का है, जब कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर तेजाजी नगर थाने की टीम एबी रोड बायपास स्थित कस्तूरबा ग्राम पहुंची थी.

फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच ने पलट दिया केस

करीब तीन महीने पहले भोपाल स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा पलट दी. रिपोर्ट में साफ किया गया कि जब्त पदार्थ कोई मादक पदार्थ नहीं बल्कि पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसका इस्तेमाल खाद, पटाखे और टूथपेस्ट में होता है. इसके बाद भी पुलिस ने दोबारा परीक्षण के लिए सैंपल केंद्रीय एफएसएल हैदराबाद भेजा, जहां 9 दिसंबर 2025 को आई रिपोर्ट में भी वही नतीजा सामने आया और एनडीपीएस अपराध से पूरी तरह इनकार कर दिया.

एक नजर में

राजस्थान पुलिस ने मप्र में पकड़ी ड्रग फैक्ट्री

राजगढ़ , 04 फरवरी. राजस्थान-मप्र ती की सीमा पर बसे माचलपुर कस्बे के समीप मंगलवार की रात्रि को राजस्थान के झालावाड़ जिले की विशेष टीम ने ग्राम गोघटपुर में मादक पदार्थ (एमडी ड्रग्स) निर्माण करने वाली फै क्ट्री पकड़ी है. इसमें लाखों रूपये का मादक पर्दार्थ बरामद किया है. हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका है. झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुढ़ानिया ने एनडीपीएस एक्ट के विरूद्ध इसे बड़ी कार्रवाई बताया है. झालावाड़ एसपी ने बताया कि पाटन जिला झालावाड़ द्वारा दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में यह जानकारी में आया था.

एमपी पुलिस ने 6 .5 करोड़ रुपए के वाहन किए जब्त

विशेष संवाददाता

भोपाल, 04 फरवरी. मध्यप्रदेश पुलिस ने ग्वालियर और इंदौर जिलों में वाहन किराये पर लेकर उन्हें अवैध रूप से तीसरे पक्ष के पास गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोहों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है.

पिछले 10 दिनों में पुलिस ने समन्वित अभियानों के तहत 54 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 6.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया, जो स्वयं को निजी कंपनी का मैनेजर बताकर ट्रैवल्स संचालकों से कई वाहन किराये पर लेता था। आरोपी फर्जी और

40 से अधिक वाहन मालिक ठगी का शिकार

जांच में सामने आया कि 40 से अधिक वाहन मालिक इस ठगी का शिकार हुए थे।आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी जानकारी पर 39 चार पहिया वाहन, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जब्त किए गए। इन संयुक्त कार्रवाइयों से संगठित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है और बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिली है, जिससे वित्तीय अपराधों के प्रति पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है।

कूटरचित दस्तावेजों के जरिए इन वाहनों को अन्य लोगों के पास गिरवी रखकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करता था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के 15 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं।

इंदौर में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे वाहन धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया। आरोपी वाहन मालिकों से 11 माह के लिखित एग्रीमेंट पर कारें किराये पर लेता था और शुरुआत के दो-तीन महीने किराया देने के बाद वाहनों को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रख देता था। इसके बाद वह कारों में लगे जीपीएस सिस्टम निकालकर किराया देना बंद कर देता था.

जीतू पटवारी का खंडवा दौरा हुआ रद्द

खंडवा, 04 फरवरी. जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 7 फरवरी को खंडवा में आयोजित होने वाला किसान सम्मेलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में आयोजित एक बैठक के कारण उनका खंडवा दौरा रद्द हो गया। उल्लेखनीय है कि पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं द्वारा जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं। आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति, विशाल टेंट, मंच, ध्वनि व्यवस्था और वाहनों की बुकिंग पूरी कर ली गई थी। सम्मेलन में लगभग 50 हजार किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया था.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय- हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लि ., 27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुंडई, चेन्नई-600032

संपर्क नं. राजेश चकोटिया-8435571111 (आरआरएम), श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, मिस अंकिता पाटिल-7723055195 (सीएलएम), श्री गोविन्द चौहान- 8962816436 (सीआरएम)

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एचएचएफएल को सौंपी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है. आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, एचएचएफएल को 'जहां है, जैसा है' और 'जो है, जैसा है' के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए सहमत शर्तों के अनुसार.

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री 'जहां है, जैसा है' और 'जो है, जैसा है, जैसा है' के आधार पर होगी.
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करानी होगी.
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25 प्रतिशत राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा.
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत अपेक्षित राशि का भुगतान न करने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10 प्रतिशत राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह HHFL को ज्ञात हो या अज्ञात. प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए. क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा.
8. HHFL बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
9. एक से अधिक प्रस्ताव के मामले में, HHFL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा.
10. इच्छुक पक्ष आगे के विवरण/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क वहन करना होगा.
12. बिक्री SARFAESI अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी.

ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम

LAN: MP/IDR/MCHL/A000000688
1. श्री हेमंत कुमार तिवारी 2. श्रीमती बंदना तिवारी

आरक्षित मूल्य: रु. 20,00,000/- (रु. बीस लाख मात्र)

संपत्तिका विवरण- प्लॉट नंबर 60 का पश्चिमी हिस्सा, खसरा नंबर 25/1/1, 27 से 28/5, 30/1 से 34/2, 36/2, 106/1 और 106/2 का हिस्सा, पी.एच. नंबर 70, सिंगापुर ब्रिटिश पार्क, गांव धाबली, तहसील सांवेर और जिला इंदौर में स्थित. क्षेत्रफल: कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट. सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार. पूर्व- उक्त प्लॉट का बचा हुआ हिस्सा, पश्चिम- प्लॉट नंबर 61, उत्तर- कॉलोनी रोड, दक्षिण- प्लॉट नंबर 63 और 64.

स्थान: इंदौर
दिनांक: 5 .2 .2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

नगर पालिका सफाईकर्मी हड़ताल पर, कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च

श्योपुर, 04 फरवरी. श्योपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. इसके विरोध में सफाईकर्मी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल कर दी है.

नगर पालिका से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया. हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उनके सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है. बैंकों की किस्तें और बीमा के पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सीएमओ से गुहार लगाने पर उन्हें समस्या सुलझाने के बजाय नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है. हड़ताल की वजह से शहर में कचरा उठना बंद हो गया है, जिससे गंदगी फैलने लगी है.सफाईकर्मियों की बदहाली से नाराज होकर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष भूपेन्द्र गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

आंदोलन को विधायक बाबू जंडेल और विपक्षी पार्षदों का भी साथ मिला है. विधायक ने नगर पालिका प्रशासन पर विधायक निधि के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

राज्यमंत्री ने किए मां शारदा देवी के दर्शन

सतना/ मैहर , 04 फरवरी. प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने सतना और मैहर जिले के प्रवास के दौरान बुधवार को मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की. इस दौरान राज्यमंत्री लोधी ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. इस अवसर पर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

बजट प्रदेश का ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 फरवरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है.

बुधवार को अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे श्री विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट मध्यप्रदेश के आर्थिक-औद्योगिक और सामाजिक विकास का ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा. पूंजीगत व्यय में वृद्धि, शहरों के विकास व लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास प्रदेश के लिए वरदान बनेगा. यह बजट सतत आर्थिक विकास के साथ जन आपेक्षाओं को पूरा करने वाला है.

प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय-समय पर अपने निर्णयों से देश को सशक्त बनाने के साथ दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया है. इस बजट के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे. यह केंद्रीय बजट सभी वर्गों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा. केंद्रीय बजट सिर्फ बजट नहीं है, यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन डॉक्यूमेंट है. पत्रकारवार्ता में जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ता, ननि अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल मौजूद रहे.

करोड़ों के माइनिंग घोटाले के आरोप पर नोटिस

याचिका में सीबीआई जांच की मांग, अनावेदकों को नोटिस जारी

जबलपुर, 04 फरवरी. छतरपुर में बड़े पैमाने में हुए माइनिंग घोटाले को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दायर मामले में सीबीआई जांच पर बल दिया गया है.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् खनिज स्रोत विभाग के सचिव, मप्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के एमडी, कलेक्टर छतरपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. यह जनहित याचिका छतरपुर की ग्राम पंचायत भैरा के सरपंच शिवराम दीक्षित व दिलीप सिंह की ओर से दायर की गई है.

जिनकी ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि अनूपपुर की किसान मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड ने स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के साथ 2007 में संयुक्त समझौता किया था. इसके तहत कंपनी को हर साल रायल्टी और डेवलपमेंट फीस जमा करनी थी. वर्ष 2021 में जांच के बाद कंपनी पर 19 करोड़ रुपये की रायल्टी निकाली.

यह दलील दी गई कि शर्त के अनुसार कंपनी ने बैंक गारंटी के रूप में एफडी भी जमा नहीं की है. इसके बाद वर्ष 2024 में भी एक जांच हुई, जिसे दबा दिया गया. याचिका में मांग की गई कि इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए. क्योकि हकीकत में रायल्टी चोरी महज 19 करोड़ नहीं बल्कि 30 हजार करोड़ है. संबंधित विभाग के अधिकारियों का रवैया जांच का विषय है. कुल मिलाकर मिलीभगत से गड़बड़ी हुई है, जिस पर पर्दा डाला जा रहा है.

नाबालिग बालिका के साथ होटल में किया दुष्कर्म

ग्वालियर, 04 फरवरी. एक होटल में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ उसके परिचित युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया. आरोपी को नाबालिग पहले से जानती थी. दोनों के बीच बातचीत होती थी.

दोपहर में आरोपी ने नाबालिग को बातचीत के बहाने होटल बुलाया और अन्दर ले जाकर बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद जब नाबालिग होटल से बाहर आई तो उसका ताऊ का लड़का पहले से बाहर मौजूद था. नाबालिग के बाहर आते ही आरोपी भी बाहर आया. जिसे परिजनों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना माधौगंज क्षेत्र के होटल विराट की है. पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी सूरज गुढ़ा-गुढ़ी का नाका निवासी है.

दोनो एक दूसरे को कुछ माह से जानते थे. पीड़िता के मुताबिक सूरज ने उसे गुढ़ा-गुढ़ी नाके स्थित होटल विराट में बुलाया था. जहां उसके साथ गलत कृत्य किया है. इधर, नाबालिग के काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें जानकारी मिली कि सूरज उसे होटल विराट ले गया. परिजन होटल के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- म.नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4, नर्मदा स्क्वायर के पास, गोपुर स्क्वायर के बाद, इन्दौर-452001/102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री चम्पालाल शर्मा श्रीमती मिसरा शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10195135)	15-2-2025 रु. 908859/- (रु. नौ लाख आठ हजार आठ सौ उनसठ मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा- प्लॉट नंबर 81-A नेचर वैली ग्राम जामली, तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र, 453441 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, बिक्री योग्य_क्षेत्र, सुपर_बिल्ट_अप_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 500.00, 500.00, 400.00	7-5-2025 कुल बकाया राशि 9-1-2026 को रु. 1069716.37/- (रु. दस लाख उनहत्तर हजार सात सौ सोलह और पैसा सैंतीस मात्र)	रु. 878000/- (रु. आठ लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 87800/- (रु. सतासी हजार आठ सौ मात्र)
श्री विष्णु गुप्ता श्रीमती तेजस्विनी गुप्ता सैंडविच पाइंट (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10692960)	20-5-2025 रु. 1114800/- (रु. ग्यारह लाख चौदह हजार आठ सौ मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा- प्लॉट नंबर E25, सिंगापुर मिड वे, ग्राम सोनवे, तहसील राऊ, धन्नाद, इंदौर, म.प्र, 453332, संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, बिक्री योग्य_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 372.00, 372.	3-9-2025 कुल बकाया राशि 9-1-2026 को रु. 1224464.44/- (रु. बारह लाख चौबीस हजार चार सौ चौंसठ और पैसा चवालीस मात्र)	रु. 938000/- (रु. नौ लाख अड़तीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 93800/- (रु. तिरानवे हजार आठ सौ मात्र)

महत्वपूर्ण जानकारी- यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है. भौतिक कब्ज़ा SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा -14 आदेश प्राप्त होने के बाद और जब भी भौतिक की पेशकश की जाएगी, कब्ज़ा ले लिया जाएगा. बोली लगाने वाले को भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक परिश्रम करना होगा.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री अंकित कंदेरिया श्रीमती अंकिता कंदेरिया (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10454517)	18-11-2024 रु. 1653243/- (रु. सोलह लाख तिरेपन हजार दो सौ तिरतालीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और भाग जिसका पता है- प्लॉट नंबर 124 का दक्षिणी भाग, बालाजी आंगन, ग्राम जंबुर्डी हप्सी, तहसील-हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453111 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 480.00, 480.00, 111.00 निर्मित_क्षेत्र	28-11-2025 कुल बकाया राशि 9-1-2026 को रु. 2093818.09/- (रु. बीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ अट्ठारह और पैसा नौ मात्र)	रु. 1748000/- (रु. सत्रह लाख अड़तालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 174800/- (रु. एक लाख चौहत्तर हजार आठ सौ मात्र)
श्री सन्दीप कुमार मिश्रा श्रीमती शिखा मिश्रा (प्रॉस्पेक्ट नं. 959717)	14-12-2023 रु. 2744004/- (रु. सत्ताइस चवालीस हजार चार मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और भाग जिसका पता है- अपार्टमेंट, नंबर 103, पहली मंजिल, निर्मित क्षेत्र 561 वर्ग फुट और सुपर निर्मित क्षेत्र 707 वर्ग फुट, चेतक चैंबर अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 14 पर, रवींद्र नाथ टैगोर मार्ग, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत	8-6-2024 कुल बकाया राशि 9-1-2026 को रु. 4102375.08/- (रु. इकतालीस लाख दो हजार तीन सौ पिचहत्तर और पैसा आठमात्र)	रु. 2250000/- (रु. बाइस लाख पचास हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 225000/- (रु. दो लाख पच्चीस हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
18 फरवरी 2026 11.00-14.00 बजे	20 फरवरी 2026 के 5.00 बजे तक	23 फरवरी 2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 5-2-2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री ने किया 25 करोड़ 91 लाख से बनने वाली दो सड़कों का भूमिपूजन

भाजपा सरकार के विकास संकल्प को मिला साकार रूप

आलीराजपुर , 04 फरवरी. विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित ग्राम और आत्मनिर्भर ग्राम होना जरूरी है। ग्राम को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है.

ओर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुझे साफ साफ कहा है कि आलीराजपुर जिले के हर ग्रामीण क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी आप काम बताओ मैं हमारी भाजपा सरकार उस काम को पूरा करवाएंगी। यह बात आज जिले में भाजपा सरकार

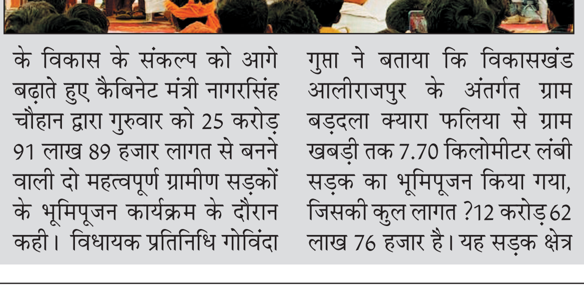

के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान द्वारा गुरुवार को 25 करोड़ 91 लाख 89 हजार लागत से बनने वाली दो महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कही। विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता ने बताया कि विकासखंड आलीराजपुर के अंतर्गत ग्राम बड़दला क्यारा फलिया से ग्राम खबड़ी तक 7.70 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया गया, जिसकी कुल लागत ?12 करोड़ 62 लाख 76 हजार है। यह सड़क क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करेगी।

वहीं विकासखंड सोंडवा के अंतर्गत ग्राम फड़तला मिडिल स्कूल से थोड़ सिंधी होते हुए नेवा माता मंदिर (फड़तला) तक 9.50 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया गया. जिस पर 13 करोड़ 29 लाख 13 हजार की लागत आएगी। यह दोनों मार्ग धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा ग्रामों के सर्वांगीण विकास को नई गति प्राप्त होगी।

कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करती हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्राम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंच मिलेगी तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी।